मध्यप्रदेश विधान सभा

संक्षिप्त कार्य विवरण (पत्रक भाग-एक)

बुधवार, दिनांक 20 फरवरी, 2013 (फाल्गुन 1, 1934)

विधान सभा पूर्वाह्न 10.32 बजे समवेत हुई.

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित में से 14 प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये। प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 47 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 55 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे।

2. नियम 267-क के अधीन विषय

(1) श्री आरिफ अकील, सदस्य ने प्रदेश में जननी सुरक्षा में लगी वाहनों के दुरूपयोग होने,
(2) श्री दिलीप सिंह गुर्जर, सदस्य ने नागदा-खाचरौद तहसील के ग्रामों में ओलावृष्टि से फसलें नष्ट होने,
(3) डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य ने भिण्ड जिले के ग्राम टुडीला में एक नाबालिग बालिका की हत्या की जाने,
(4) श्री यशपाल सिंह सिसोदिया, सदस्य ने जिला मंदसौर के सोनागरी गांव की सड़क पर, बस से कुचलकर तीन बच्चों की मृत्यु होने,
(5) श्री यादवेन्द्र सिंह, सदस्य ने टीकमगढ़ जिले की बल्देवगढ़ नगर पंचायत में बायपास मार्ग नहीं होने,
(6) इंजी. प्रदीप लारिया, सदस्य ने मध्यप्रदेश हाऊसिंग बोर्ड द्वारा डॉ. हरीसिंह गौर नगर का निर्माण न किये जाने तथा
(7) श्री पारस सकलेचा, सदस्य ने शासकीय महाविद्यालय में संविदा में लगे लोगों का शोषण किये जाने
संबंधी नियम 267-क के अधीन शून्यकाल की सूचनाएं प्रस्तुत कीं।

3. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री राघवजी, वित्त मंत्री ने मध्यप्रदेश वित्त निगम का 57 वां वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2011-12 पटल पर रखा।

(2) श्री कैलाश विजयवर्गीय, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण मंत्री ने दि मध्यप्रदेश स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड का 42 वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे, वर्ष 2010-11 पटल पर रखे।

(3) श्री जयंत मलैया, जल संसाधन मंत्री ने उनके विभाग की अधिसूचना क्रमांक 32-18-2012-म-इकतीस-665, दिनांक 22 अक्टूबर 2012 पटल पर रखी।

(4) श्री राजेन्द्र शुक्ल, ऊर्जा मंत्री ने उनके विभाग की निम्नलिखित अधिसूचनाएं - (क) क्रमांक 3296/म.प्र.वि.नि.आ./2012, दिनांक 29 नवम्बर, 2012, (ख) क्रमांक 3410/म.प्र.वि.नि.आ./2012, दिनांक 12 दिसम्बर, 2012, (ग) क्रमांक 3359/म.प्र.वि.नि.आ./2012, दिनांक 7 दिसम्बर, 2012 तथा (घ) क्रमांक 151/म.प्र.वि.नि.आ./2013, दिनांक 15 जनवरी, 2013 पटल पर रखीं।

4. ध्यान आकर्षण

(1) श्री दिलीप सिंह गुर्जर, सदस्य ने उज्जैन जिले के खाचरौद तहसील अंतर्गत ग्राम आक्याजागीर स्थित विद्यालय के सेप्टिक टैंक में गिरने से दो छात्राओं की मौत होने की ओर ध्यान आकर्षित किया। श्रीमती अर्चना चिटनिस, स्कूल शिक्षा मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(2) श्री रामनिवास रावत, सदस्य की ग्वालियर शहर के पास बांधों के कैचमैंट क्षेत्र की भूमि की अवैध बिक्री किये जाने संबंधी ध्यान आकर्षण की सूचना उनकी अनुपस्थितिवश प्रस्तुत नहीं की गई।

5. याचिकाओं की प्रस्तुति

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार, दैनिक कार्यसूची में उल्लिखित सदस्यों की याचिकाएं प्रस्तुत हुई मानी गईः-
(1) श्रीमती शशि ठाकुर (जिला-सिवनी)
(2) श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर (जिला-ग्वालियर)
(3) श्री सुभाष कुमार सोजतिया (जिला-मंदसौर)

6. विश्वविद्यालयों की सभा (कोर्ट) के लिए विधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन

डॉ. रामकृष्ण कुसमरिया, किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री ने निम्नलिखित प्रस्ताव किया कि -
"यह सभा उस रीति से जैसी अध्यक्ष महोदय निर्दिष्ट करें, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 1963 (क्रमांक 12 सन् 1963) की धारा 25 की उपधारा (1) के पद (नौ) की अपेक्षानुसार, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर के प्रबंध मंडल के लिये राज्य विधान सभा के सदस्यों में से तीन सदस्यों के निर्वाचन के लिये अग्रसर हो.''.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा इसके लिए निम्नानुसार निर्वाचन कार्यक्रम निर्धारित करने की घोषणा की गई -

(1) नाम-निर्देशन प्रपत्र विधान सभा सचिवालय में मंगलवार, दिनांक 26 फरवरी, 2013 को अपराह्न 1.00 बजे तक प्रस्तुत किए जा सकेंगे।

(2) नाम-निर्देशन प्रपत्रों की जांच बुधवार, दिनांक 27 फरवरी, 2013 को अपराह्न 2.00 बजे से विधान सभा भवन स्थित समिति कक्ष क्रमांक-6 में होगी।

(3) उम्मीदवारी से नाम वापिस लेने की सूचना शुक्रवार, दिनांक 1 मार्च, 2013 को 1.00 बजे तक इस सचिवालय में दी जा सकती है।

(4) निर्वाचन यदि आवश्यक हुआ तो मतदान मंगलवार, दिनांक 5 मार्च, 2013 को पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 3.00 बजे तक होगा।

(5) निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जाएगा।

उपर्युक्त निर्वाचन हेतु अभ्यर्थियों के नाम प्रस्तावित करने एवं उम्मीदवारी से नाम वापस लेने की सूचना देने के प्रपत्र विधान सभा सचिवालय स्थित सूचना कार्यालय से प्राप्त किए जा सकते हैं।

7. राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर चर्चा

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर दिनांक 18 फरवरी, 2013 को प्रस्तुत, कृतज्ञता ज्ञापन के निम्नलिखित प्रस्ताव पर श्री शंकरलाल तिवारी, सदस्य ने प्रारम्भिक भाषण दिया :-

"राज्यपाल ने जो अभिभाषण दिया, उसके लिए मध्यप्रदेश विधान सभा के इस सत्र में समवेत सदस्यगण अत्यन्त कृतज्ञ हैं."

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर उनके पास 26 सदस्यों के संशोधनों की सूचना प्राप्त हुई हैं. उनमें से जो संशोधन नियमानुसार नहीं थे, उन्हें अग्राह्य किया गया है। तदनुसार, सदन में उपस्थित निम्नलिखित माननीय सदस्यों के संशोधन प्रस्तुत हुए माने गए :-

क्रमांक	प्रस्तावक सदस्य	संशोधन क्रमांक
(1)	श्री नर्मदा प्रसाद प्रजापति	3
(2)	श्री बिसाहूलाल सिंह	4
(3)	श्री आरिफ अकील	5
(4)	श्री पारस सकलेचा	6
(5)	डॉ. गोविन्द सिंह	10
(6)	श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा	14
(7)	डॉ. कल्पना परूलेकर	17
(8)	श्री रामलखन सिंह	23
(9)	श्री बृजेन्द्र सिंह राठौर	26

तत्पश्चात् कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव और संशोधनों पर एक साथ प्रारम्भ हुई चर्चा में क्रमानुसार निम्नलिखित सदस्यों ने भी भाग लिया:-

(2) चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी

(अपराह्न 1.01 से 2.31 बजे तक अन्तराल)

(3) श्री यशपाल सिंह सिसोदिया
(4) श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा
(5) श्री राधेश्याम पाटीदार
(6) डॉ. कल्पना परूलेकर
(7) श्री प्रेमनारायण ठाकुर
(8) श्री के.पी. सिंह
(9) श्रीमती नीता पटैरिया
(10) श्री भगवान सिंह राजपूत
(11) श्री सुरेन्द्र सिंह गहरवार
(12) श्री हेमराज कल्पोनी
(भाषण एवं चर्चा अपूर्ण)

अपराह्न 5.00 बजे विधान सभा की कार्यवाही गुरुवार, दिनांक 21 फरवरी, 2013 (फाल्गुन 2, 1934) के पूर्वाह्न 10.30 बजे तक के लिए स्थगित की गई।

राजकुमार पांडे
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा

भोपाल :
दिनांक : 20 फरवरी, 2013